भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 903

दिनांक 07.02.2024 को उत्तर देने के लिए

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स

903. **श्री सुमेधानन्द सरस्वती:**
श्रीमती रंजीता कोली:
डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज़मीनी स्तर पर विशेष रूप से उपलब्धता और वहनीयता के संदर्भ में क्या परिवर्तन स्पष्ट हैं:

(ग) पिछले दशक के दौरान सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान पर कितनी राशि खर्च की गई है और विश्व स्तर पर इसकी रैंक क्या है; और

(घ) अंतरराष्ट्रीय अवसर पैदा करके शोधकर्ताओं को समर्थन देने और प्रतिभा पलायन को रोकने के उद्देश्य से देश के भीतर नौकरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): जी, हां। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो 2015 में 81 थी 2023 में बढ़कर 40 हो गई।

(ख): वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में उपर्युक्त बताए गए सुधार के कारण जमीनी स्तर पर नवान्वेषी समाधानों की उपलब्धता और वहनीयता के संदर्भ में प्रत्यक्ष परिवर्तन देखे गए हैं। इनमें निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत की अद्यतन प्रगति शामिल है:

(i) अंतरिक्ष सेक्टर।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर।

(iii) रक्षा सेक्टर, विशेषकर विभिन्न प्रकार के रक्षा उपस्करों का स्वदेशी विकास और उत्पादन।

(iv) जैव प्रौद्योगिकी सेक्टर, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीकों और ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों का स्वदेशी विकास और उत्पादन।

(v) किफायती शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षण उपकरण।

(ग): विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रकाशित नवीनतम अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी, 2022-23 के अनुसार, पिछले दशक के दौरान, सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान पर खर्च की गई धनराशि के साथ ही विश्व स्तर पर इसकी रैंक; सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास में सकल व्यय के आधार पर व्यय की गई राशि नीचे तालिका में दी गई है:

पिछले दशक के दौरान, सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान पर खर्च की गई धनराशि	
वर्ष	**(रुपए करोड़ में)**
2011-12	42,665.62
2012-13	46,886.28
2013-14	48,841.09
2014-15	54,935.05
2015-16	59,430.29
2016-17	63,974.55
2017-18	71,969.15
2018-19	82,250.19
2019-20	87,813.47
2020-21	80,992.83

वर्ष 2016-17, 2019-20 और 2022-23 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी के अनुसार अनुसंधान और विकास पर व्यय (क्रय शक्ति समता (पीपीपी) अमरीकी बिलियन डॉलर में) में विश्व स्तर पर भारत की सातंवी रैंक है।

(घ) सरकार द्वारा अपने वैज्ञानिक कार्यबल को बनाए रखने और उनके द्वारा देश में अनुसंधानकर्ताओं की सहायता करने के लिए पर्याप्त अवसरों का सृजन करके प्रतिभा पलायन को रोकने के उद्देश्य से किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) अपने उन्नत संयुक्त अनुसंधान का दौरा (वीएजेआरए) संकाय योजना के माध्यम से सीमित अवधि के लिए भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में सहयोगात्मक अनुसंधान करने के लिए अनिवासी भारतीयों सहित विदेशी वैज्ञानिकों के लिए एक मंच प्रदान करता है।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई), विश्वविद्यालयों और/या सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थानों के साथ भारतीय प्रवासी के वैज्ञानिकों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैभव) फैलोशिप शुरू की है।

(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की बाह्य वित्त पोषण योजनाएं जिनमें स्टार्ट-अप अनुसंधान अनुदान, जेसी बोस, कोर अनुसंधान अनुदान, स्वर्णजयंती, राष्ट्रीय पोस्टडॉक्टोरल फैलोशिप, एमके भान-युवा शोधकर्ता फैलोशिप और रमन अनुसंधान फैलोशिप जैसी अनुसंधान फैलोशिप शामिल हैं, जो वैज्ञानिक समुदाय को अत्याधुनिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय अनुसंधान करने हेतु सशक्त बनाने के लिए लक्षित हैं।

(iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा विश्वविद्यालयों और उच्चतरीय शिक्षण संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचनाओं के सुधार हेतु निधि (एफआईएसटी) जैसी अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनुसंधान अवसंरचना के निर्माण हेतु कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(v) वैज्ञानिक मंत्रालयों और विभागों के पास वैज्ञानिकों को सुरक्षित कैरियर प्रोन्नति प्रदान करने के लिए एक लचीली अनुपूरक स्कीम/मेरीट आधारित प्रोन्नति स्कीम तथा निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन स्कीम है।

(vi) वैज्ञानिक मंत्रालयों और विभागों ने अपने कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं और अनुसंधान सहयोगियों के लिए मासिक वृत्तिका में वृद्धि की है।

(vii) इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक मंत्रालय और विभाग विदेश में सेमिनारों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए अनुसंधान करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं ताकि वे अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी वैज्ञानिक समुदाय के अनुभव और अनुसंधान से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना अनुसंधान कार्य प्रस्तुत कर सकें।

*****